Ensure Sufficient Old Age Pension

Tithli Ben migrated to Delhi in 1969 at the age of 19 after marriage to Dumru Bhai, a mechanic working in a small workshop in Mehrauli in South Delhi. They settled in a small juggie near the workshop.

Dumru Bhai was on contract, and used to get paid based on work done. Since it was a small workshop, the orders were few and the income was low.

Within 6 months of married life, Tithli realized that to survive in a metro like Delhi, the small income that Dumru Bhai earns would not be sufficient. Like other women in the neighbourhood, Tithli decided to take up domestic work to supplement their income. Her hard work made her a much sought after maid and within a year she was able to secure work in 7 houses.

After 41 years of struggle in Delhi, Tithli (now a widow and mother of five girls), continues to stay in the same old jhuggie for a monthly rent of Rs. 1250. She has married off her daughters and none of them stay with her. "They have their own burden to bear", she says.. The relentless hard work has taken its toll on her health. "I can still do work, but people prefer me less, people prefer younger hands", says a frail looking Tithli Ben

"How long will one live? I do not know. I was always working hard. Now I realize that old age is fast grappling me and that I might not be able to continue for long. Who will there be to support me? If I had a son, he would have been with me. Oh! That is also not true, because nowadays who is willing to take care of their old parents?" asks Tithli.

Tithli Ben feels that the government should adopt measures to protect people during their old age. "If I cannot earn, I will not be able to pay the rent. If the rent is not paid, the landlord will soon have me thrown out, which means I will have to live on the pavement or at the mercy of my daughters all of whom who stay with their in-laws", bemoans Tithli.

"Why can't the government give us some kind of pension? The plight of senior citizens is the same anywhere but the poor are totally neglected and discriminated. Do we deserve such treatment? We have also spent our youth working really hard", she asks.

The Unorganised Workers Social Security (UWSS) Act, 2008 includes provision for old age protection under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme. According to this scheme people over 65 years, and from BPL families, are entitled to a pension of Rs 200 per month.

Toiling hard at a very early age, millions of men and women like Tithli Ben are "old" and in need of support long before they turn 60, and live in poverty even though they are not classed as BPL. People like them need protection and care.

Taking into consideration the spiraling prices of food, medicines and a lack of social support, a pension amount of Rs 200 is a shame. In recognition of the dignity of our senior citizens, the pension amount should be raised to at least 50 per cent of the need based wages fixed by the central government.

सभी मजदूरों को वाजिब वृद्धावस्था पेंशन दो

तितली बेन 1969 में 19 साल की उम्र में दिल्ली आई थीं। उनकी शादी हो चुकी थी और उनके पति डुमरू भाई महरौली में एक छोटी-सी वर्कशॉप में काम करते थे। दुकान के पास ही उन्होंने अपनी छोटी सी झुग्गी डाल ली थी।

डुमरू भाई ठेके पर काम करते थे और उन्हें काम के हिसाब से ही पगार मिलती थी। चूंकी वर्कशॉप छोटी थी इसलिए वहां काम भी कम आता था और आमदनी भी कम रहती थी।

छह महीने की शादीशुदा जिंदगी में ही तितली को ये बात समझ में आ गई थी कि दिल्ली जैसे महानगर में जिंदा रहने के लिए इतनी कम आमदनी से काम नहीं चल सकता। आस-पास की दूसरी औरतों की तरह तितली ने भी घर की आमदनी में हाथ बंटाने के लिए औरों के घर जाकर झाड़ू-पोछे का काम शुरू कर दिया। साल भर के भीतर उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हर परिवार उन्हें अपने पास रखने को तैयार था और देखते-देखते तितली बेन सात घरों में काम करने लगीं।

दिल्ली में 41 साल की जद्दोजहद के बाद तितली अब भी उसी झुग्गी में रहती हैं और आज भी 1250 रुपये माहवार भाड़ा दे रही हैं। डुमरू भाई गुजर चुके हैं और तितली की पांच लड़कियां हैं। तितली अपनी सारी बेटियों की शादी कर चुकी हैं। सारी बेटियां अपने-अपने घर चली गई हैं। तितली कहती है, "अब उन्हें अपना बोझ उठाना है।" अथक परिश्रम ने तितली की सेहत को गहरी चोट पहुंचाई है। दुबली-पतली तितली कहती हैं, "मैं अभी भी काम कर सकती हूं लेकिन लोग अब मुझे कम ही बुलाते हैं। लोगों को कम उम्र की कामवालियां ज्यादा पसंद हैं।"

तितली पूछती हैं, "भगवान जाने अब मैं कितने दिन जीयूंगी! मैं सदा मेहनत करती रही। अब मैं बूढ़ी होने लगी हूं। अब मेरे से देर तक काम नहीं होता। मेरी देखरेख करने वाला कौन है? अगर एक लड़का होता तो मैं उसके पास रह लेती। पर ये भी तो बस कहने की बात है! अब भला कौन अपने बूढ़े मां-बाप की परवाह करता है?"

तितली बेन को लगता है कि सरकार को बुढ़ापे में लोगों की देखभाल करनी चाहिए। "अगर मैं कमा नहीं सकती तो मैं भाड़ा कहां से चुकाऊंगी। अगर भाड़ा नहीं दे पाऊंगी तो झुग्गी मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। तब मुझे या तो फुटपाथ पर रहना पड़ेगा या अपनी लड़कियों की ससुराल में जाकर उनके टुकड़ों पर दिन गुजारने पड़ेंगे"

वह पूछती हैं, "सरकार हमें पेंशन क्यों नहीं देती? बूढ़ों की हालत तो सब जगह खराब है लेकिन गरीबों की तो और भी बुरी है। क्या हमारे साथ ये बर्ताव सही है? आखिर हमने भी तो अपनी जवानी में खूब मेहनत की है।"

असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा (यूडब्ल्यूएसएस) अधिनियम, 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बूढ़ों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के मुताबिक बीपीएल परिवारों के 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग माहवार 200 रुपये पेंशन के हकदार हैं।

तितली बेन जैसे लाखों औरत-मर्द 60 साल तक पहुंचने से बहुत पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उन्हें लगातार मदद की जरूरत रहती है और भले ही उनको बीपीएल श्रेणी में न रखा गया हो, उनकी हालत बहुत खराब रहती है। ऐसे लोगों को सुरक्षा और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है।

खाने-पीने की चाजों, दवाइयों की आसमान छूती कीमतों और सामाजिक सहायता के अभाव में पेंशन के नाम पर 200 रुपये की पेंशन सिर्फ एक दिखावा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देते हुए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तय की गयी आवश्यकता आधारित मजदूरी का कम से कम 50 प्रतिशत तो मिलना ही चाहिए।